महिला सुरक्षा पर NHRC की सलाह: कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों के लिए आठ क्षेत्र

मुख्य परीक्षा विश्लेषण | मानवाधिकार, महिला सुरक्षा और शासन | समाचार-संदर्भ: 27 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 27 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने “कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा” पर एक सलाह-पत्र (एडवाइज़री) जारी किया है। PIB ने इसकी प्रेस विज्ञप्ति 27 अक्टूबर 2026 को जारी की, इसलिए यह लेख 27 अक्टूबर की खबर के रूप में है; आयोग के पत्र पर तारीख 23 अक्टूबर 2026 दर्ज है। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से सिफारिशें लागू करने और **दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR)** देने का अनुरोध किया है।

यह खबर परीक्षा के लिए इसलिए उपयोगी है कि इसमें मानवाधिकार संस्था की भूमिका, महिलाओं की श्रम-भागीदारी, पुलिस सुधार, साइबर अपराध और कार्यस्थल कानून के क्रियान्वयन के मुद्दे एक साथ आते हैं।

सलाह-पत्र किसे भेजा गया?

आयोग के मूल पत्र के अनुसार सलाह-पत्र दस केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों या प्रशासकों को भेजा गया। मंत्रालय ये हैं: महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम एवं रोज़गार, कॉरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवास एवं शहरी कार्य, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। पत्र की प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सदस्य सचिव को भी दी गई है।

आयोग का कहना है कि कड़े कानून होने के बावजूद उत्पीड़न व्यापक समस्या बना हुआ है। इसलिए रोकथाम और उपचार, दोनों पर एक साथ ध्यान देना होगा, और महिलाओं की अलग-अलग सामाजिक पहचान (अंतर-वर्गीयता) का भी ध्यान रखना होगा।

आयोग ने किन आँकड़ों का हवाला दिया?

- **श्रम-भागीदारी:** सलाह-पत्र के अनुसार हालिया आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण में सितंबर 2026 में महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी 34.6% रही।
- **अपराध:** सलाह-पत्र के अनुसार 2026 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में 2024 के लिए महिलाओं के विरुद्ध लगभग 4.4 लाख अपराध दर्ज हुए। इनमें हत्या, बलात्कार, हमला और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल बताए गए हैं।

ये आँकड़े आयोग के पत्र से लिए गए हैं। उत्तर में इन्हें "आयोग के अनुसार" लिखना ठीक रहेगा। इनसे सुरक्षा की चिंता का संकेत मिलता है, पर अपराधों के प्रकार और राज्यवार तुलना के लिए मूल NCRB तालिकाएँ अलग से देखनी होंगी।

आठ क्षेत्र और मुख्य सिफारिशें

1. जागरूकता:

- उत्पीड़न क्या है, कानूनी अधिकार क्या हैं और आपात नंबर कौन-से हैं, यह बताने वाले पोस्टर सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लगाना। SHe-Box जैसे मौजूदा तंत्र की जानकारी देना।
- स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता, सहमति, पुरुषत्व की रूढ़ धारणाओं को चुनौती और कानूनी अधिकारों के विषय, विशेषकर POCSO जैसे अधिनियम, शामिल करना।
- लंबे समय तक चलने वाला जन-अभियान, RWA, स्वयं सहायता समूह और ट्रेड यूनियन जैसे समुदाय-स्तर के मंचों से संवाद, लड़कों और पुरुषों को इस चर्चा में शामिल करना।
- 112 ऐप (ERSS), वन स्टॉप सेंटर और NCW की "हर लीगल गाइड" ऐप का प्रचार।

2. बुनियादी ढाँचा:

- कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों की बनावट में महिलाओं की ज़रूरतें देखना: रोशनी, साफ और चालू शौचालय, आपात बटन और कैमरों का नियमित निरीक्षण।
- बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्री आपात-अलार्म बटन, तथा बसों और कैब में चालक, वाहन नंबर, लाइसेंस नंबर और आपात संपर्क नंबर प्रमुखता से दिखाना। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय निर्देश पर विचार कर सकता है।
- महिला शौचालयों में सैनिटरी पैड मशीन और स्तनपान-कक्ष की व्यवस्था, खासकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों पर। दिव्यांग महिलाओं के लिए सुलभ सुविधाएँ और उचित संकेत-चिह्न।

3. राहगीरों की मदद (बाईस्टैंडर हस्तक्षेप):

- महिलाओं के विरुद्ध अपराध या उसकी आशंका में हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए 2016 के "गुड सामरिटन" कानून की तर्ज़ पर कानून पर विचार करना।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप के मानक प्रोटोकॉल बनाना और व्यापक प्रसार करना।

4. पुलिस की भूमिका:

- पीड़ितों को थाने में नैतिक निर्णय और पीड़ित को दोष देने वाले व्यवहार से बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाना, और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाना।
- हेल्पलाइन और पुलिस के पहुँचने के लिए समयबद्ध मानक तय करना, सुनसान और अपराध-प्रवण स्थानों पर नियमित गश्त।
- गृह मंत्रालय के हवाले से सलाह-पत्र में बताया गया है कि दिसंबर 2025 तक 16,469 में से 14,658 थानों (89%) में महिला हेल्प डेस्क थे। शेष थानों में भी चालू हेल्प डेस्क बनाना और उनकी नियमित समीक्षा करना।
- सभी रैंक के पुलिसकर्मियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करना, और 112, 1091 जैसी आपात हेल्पलाइनों की नियमित जाँच।

5. पीड़ित सहायता:

- पीड़ित के पहुँचते ही समय पर चिकित्सा जाँच और मनो-सामाजिक सहायता।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के 2014 के मेडिको-लीगल दिशानिर्देशों के अनुसार डॉक्टरों को संवेदनशील बनाना। सलाह-पत्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय (2022) में "टू-फिंगर टेस्ट" को अवैज्ञानिक माना है, और इसे स्पष्ट रूप से बंद किया जाना चाहिए।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हिंसक अपराधों की नैतिक रिपोर्टिंग के दिशानिर्देश: पीड़ित और परिवार की पहचान उजागर न करना, चल रही जाँच के ब्योरे तब तक न देना जब तक अधिकारी उन्हें सार्वजनिक न करें, सनसनीखेज़ शीर्षकों और पीड़ित को दोष देने वाले शब्दों से बचना। ये दिशानिर्देश ऑनलाइन समाचार पोर्टल सहित डिजिटल माध्यमों पर भी लागू हों।
- प्रारंभिक जाँच के बाद ज़रूरत हो तो पीड़ित को निकटतम वन स्टॉप सेंटर पहुँचाना, और पुलिस, अस्पताल और केंद्र के बीच समय पर रेफ़रल।

6. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध:

- सलाह-पत्र में तकनीक-जनित लैंगिक हिंसा (TFGBV) का उल्लेख है: बदले की नीयत से अश्लील सामग्री फैलाना, डॉक्सिंग, बिना सहमति के स्पष्ट चित्र और वीडियो, और डीपफ़ेक।
- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कार्यस्थलों में साइबर-अपराध पर जागरूकता, तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और सहयोग पोर्टल की जानकारी।
- साइबर कानूनों की लैंगिक दृष्टि से समीक्षा और ज़रूरी संशोधन, तथा पुलिस और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाना।

7. दीर्घकालिक सुधार:

- कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर लैंगिक हिंसा पर वास्तविक-समय, लिंग-आधारित (जेंडर-डिसएग्रिगेटेड) आँकड़े।
- समय-समय पर लैंगिक अंकेक्षण (जेंडर ऑडिट)। संदर्भ के लिए NCW का 2025 का महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण, और बड़ी नई बुनियादी परियोजनाओं के लिए लैंगिक ऑडिट को अनिवार्य पूर्वशर्त बनाने की सिफारिश।
- लिंग-आधारित बजट (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2015 की हैंडबुक संदर्भ के रूप में), और निर्भया कोष का समय पर तथा कुशल उपयोग। ज़िला स्तर पर इस कोष की जानकारी बढ़ाना और राज्यों को प्रस्ताव बनाने में तकनीकी सहायता देना।

8. अन्य उपाय:

- जिन कार्यस्थलों पर महिलाओं को रात में काम करना पड़ता है, वहाँ कार्यस्थल पर सुरक्षा और घर तक सुरक्षित परिवहन देना। चालकों और सुरक्षाकर्मियों की जाँच-पड़ताल पहले से हो।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में आयोग का अवलोकन है कि ज़मीन पर इसका क्रियान्वयन कमज़ोर है, खासकर आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति के गठन में। आयोग ने सभी संस्थानों, औपचारिक और अनौपचारिक, में अधिनियम लागू कराने, अधिनियम में बताई गई जाँच रिपोर्टें हर साल ज़िला अधिकारी को भेजने, और सभी कर्मचारियों, चाहे किसी भी लिंग के हों, के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही है।
- राज्य स्कूल और कॉलेज स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

विश्लेषण: ताकत और सीमाएँ

सलाह-पत्र की बड़ी बात यह है कि वह महिला सुरक्षा को केवल अपराध-नियंत्रण का प्रश्न नहीं मानता। रोशनी, शौचालय, परिवहन, रात की पाली और मीडिया की भाषा जैसी बातें उसमें साथ आती हैं। आयोग इसे संवैधानिक अधिकारों और कार्यबल में भागीदारी से भी जोड़ता है। यह संस्थागत सुधार की दिशा में उपयोगी ढाँचा हो सकता है।

हमारा विश्लेषण है कि सीमाएँ भी साफ़ हैं। पत्र की भाषा अनुरोध और सुझाव की है, जिसमें “may” और “recommended” जैसे शब्द बार-बार आते हैं, और इसे लागू करने की कोई बाध्यता पत्र में नहीं दिखती। दो महीने की ATR माँगने से जवाबदेही का दबाव बनता है, पर आगे क्या होगा, यह पत्र में नहीं बताया गया है। कई सिफारिशें राज्यों के विषय (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था) और अलग-अलग मंत्रालयों के क्षेत्र में आती हैं, इसलिए समन्वय की चुनौती रहेगी। गुड सामरिटन जैसे कानून की बात “विचार करने” तक सीमित है, यानी यह अभी प्रस्ताव है।

आगे की राह

पहला काम ATR को सार्वजनिक और तुलनीय बनाना होगा, ताकि किस राज्य या मंत्रालय ने क्या किया, यह देखा जा सके। दूसरा, POSH अधिनियम के तहत समितियों के गठन और वार्षिक रिपोर्टिंग की ज़िलावार निगरानी की जाए, क्योंकि आयोग ने ज़मीनी क्रियान्वयन को ही सबसे कमज़ोर कड़ी माना है। तीसरा, रोशनी, कैमरे, हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं का नियमित निरीक्षण स्थानीय निकायों और पुलिस की जवाबदेही में जोड़ा जाए।

चौथा, लिंग-आधारित वास्तविक-समय आँकड़े इकट्ठा करने की व्यवस्था बने, क्योंकि बिना आँकड़ों के यह नहीं पता चलेगा कि कौन-सा उपाय काम कर रहा है। पाँचवाँ, पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया पर ध्यान रहे: थाने से अस्पताल और वन स्टॉप सेंटर तक का रेफ़रल एक सतत प्रक्रिया हो, और मीडिया-दिशानिर्देश पीड़ित की गरिमा बचाएँ।

संबंधित लेख: रेलवे बोर्ड भी इस सलाह-पत्र के प्राप्तकर्ताओं में है। रेल यात्रा में सुरक्षा, पुलिस-समन्वय और सामुदायिक पुलिसिंग समझने के लिए पढ़ें: रेल सुरक्षा में समन्वय: रेलमदद से सामुदायिक पुलिसिंग तक।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, गरिमा, समानता और कार्यबल में भागीदारी का प्रश्न है।" राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा संबंधी सलाह के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (GS-II, 15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: महिला सुरक्षा का संवैधानिक संदर्भ और आयोग के हवाले से श्रम-भागीदारी (34.6%) तथा अपराध-संख्या (लगभग 4.4 लाख, 2024) रखें।

मुख्य भाग में: आठ क्षेत्रों में से चुनकर बुनियादी ढाँचा, पुलिस, पीड़ित सहायता, साइबर अपराध और POSH के क्रियान्वयन की सिफारिशें बताइए। सीमाएँ लिखिए: सलाह-पत्र अनुरोध की भाषा में है, बाध्यकारी नहीं दिखता, और कई विषय राज्यों के हैं।

निष्कर्ष में: सार्वजनिक ATR, ज़िलावार निगरानी, लिंग-आधारित आँकड़े और पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया का सुझाव दीजिए।

स्रोत और सीमाएँ

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: "कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा" पर सलाह-पत्र (पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2026)।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: वेबसाइट पर सलाह-पत्र का पृष्ठ।
- PIB: NHRC की प्रेस विज्ञप्ति (27 अक्टूबर 2026)।

सभी सिफारिशें, प्राप्तकर्ताओं की सूची और आँकड़े आयोग के मूल पत्र से लिए गए हैं। NCRB और श्रमबल सर्वेक्षण के आँकड़े आयोग के उद्धरण हैं; हमने इन्हें मूल तालिकाओं से अलग से नहीं जाँचा। सलाह-पत्र पर सरकारों या मंत्रालयों की प्रतिक्रिया अभी इस लेख में शामिल नहीं है।